संख्या-180/2025/190के-2/22-3-2024-17(1230)/23

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवंसुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 04 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी टिन्चू उर्फ रिन्कू पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-26788/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.08.2023), दिनांक 24.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी टिन्चू उर्फ रिन्कू (बंदी संख्या-256/2018) पुत्र श्री सुभाष चन्द, जो विजहेरा, थाना-लोधा, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। जमीनी मुकदमेबाजी की रंजिश में बन्दी ने दिनांक 22.12.1999 को अपने 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू व तमंचे से गोली मारकर मनवीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-793/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 14.04.2010 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29-10-2018 को निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 08.01.2023 के अनुसार बन्दी द्वारा 14 वर्ष, 01 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 05 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है बन्दी की आयु हिस्ट्री टिकट के अनुसार लगभग 47 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बंदी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने जमीनी मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 22.12.1999 को अपने 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू व तमंचे से गोली मारकर मनवीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी टिन्चू उर्फ रिन्कू पुत्र सुभाष चन्द को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी टिन्चू उर्फ रिन्कू पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी जनपद-अलीगढ़ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-190(1)के-2/22-3-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-180/2025/190के-2/22-3-2024-17(1230)/23

दिनांक 04 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी टिन्चू उर्फ रिन्कू (बंदी संख्या-256/2018) पुत्र श्री सुभाष चन्द, जो विजहेरा, थाना-लोधा, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। जमीनी मुकदमेबाजी की रंजिश में बन्दी ने दिनांक 22.12.1999 को अपने 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू व तमंचे से गोली मारकर मनवीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-793/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 14.04.2010 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29-10-2018 को निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 08.01.2023 के अनुसार बन्दी द्वारा 14 वर्ष, 01 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 05 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है बन्दी की आयु हिस्ट्री टिकट के अनुसार लगभग 47 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बंदी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने जमीनी मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 22.12.1999 को अपने 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू व तमंचे से गोली मारकर मनवीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी टिन्चू उर्फ रिन्कू पुत्र सुभाष चन्द को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in